


# 2.1.1 Enrolment Percentage:

Sanctioned Intake Approval Letter

**Greater Noida Institute of Technology (Engg. Institute)** 

Plot No. 7, Knowledge Park II, Greater Noida Uttar Pradesh 201310 India

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)





#### **APPROVAL PROCESS 2021-22**

#### Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-9321284126/2021/EOA

Date: 01-Jul-2021

To

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) (1st Amendment) Regulations, 2021 notified on 24th February 2021 and other notifications as applicable and published from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-10626904	Application Id	1-9321284126
Name of the Institution /University	GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE)	Name of the Society/Trust	SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST
Institution /University Address	7, KNOWLEDGE PARK - II., GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II,,GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR,Uttar Pradesh,201306
Institution /University Type	Private-Self Financing	Region	Northern

#### To conduct following Programs / Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2021-22

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2020-21	Intake Approved for 2021-22	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status	
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	54	60#	NA	NA	
MCA	POST GRADUATE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	54	60#	NA	NA	
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS & COMMUNICATIO N ENGG	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	90	90	NA NA	NA	

Greater Nov

Application No:1-9321284126

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By: ae1737282

Page 1 of 4

Letter Printed On 16 July 2021

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	162	180#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	108	120#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	120	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Techniqal University, Uttar Pradesh, Lucknow	81	120#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	81	120#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	16	18#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	16	18#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	16	18#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	COMPUTER SCIENCE	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	16	18#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(A RTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

#Punitive Action against the Institution

Application No:1-9321284126

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.
Printed By: ae1737282

Page 2 of 4 Letter Printed On:16 July 2021

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2021-22 (Appendix 6)

#### **Important Instructions**

- 1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
- 2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2021-22 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
- Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
- 4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Prof.Rajive Kumar Member Secretary, AICTE

Copy \*\* to:

- 1. The Director of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
- The Registrar\*\*,
   Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
- The Principal / Director, GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE)
   Knowledge Park - Ii,, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201306
- The Secretary / Chairman, PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR Uttar Pradesh, 201306
- The Regional Officer, All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
- 6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <a href="http://www.aicte-india.org/">http://www.aicte-india.org/</a>.

on Technology Inst.

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

Application No:1-9321284126 ALL IN Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.


ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Page 3 of 4

Printed By: ae1737282

Letter Printed On:16 July 2021

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)





#### **APPROVAL PROCESS 2020-21**

#### Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-7003888873/2020/EOA

Date: 15-Jun-2020

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-10626904	Application Id	1-7003888873
Name of the Institute	GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE)	Name of the Society/Trust	SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST
Institute Address	7, KNOWLEDGE PARK - II,, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II,,GREATER NOIDA,G B NAGAR,Uttar Pradesh,201306
Institute Type	Private-Self Financing	Region	Northern

#### To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA .	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
MCA	POST GRADUATE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	60	NA	NA

Application No:1-7003888873

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By : ae1737282

Page 1 of 4

Letter Printed On:18 June 2020

ENGINEERING AND FECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS & COMMUNICATIO N ENGG	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	150	90	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	120	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	120	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	ELECTRICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	90	120	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	90	90	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technidal University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	POST GRADUATE	COMPUTER SCIENCE	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

Application No:1-7003888873 ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By: ae1737282

Page 2 of 4

Letter Printed On:18 June 2020

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(A RTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	0	60 <sup>##\$\$</sup>	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	0	60##\$\$	NA	NA

## Approved New Course(s)

\$\$ Course(s) should be offered in Emerging Area

#### Course(s) Applied for Closure by the Institute for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (Univ/Body)	Course Closure Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	UNDER GRADUATE	AUTOMOBILE ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	Approved

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

#### Important Instructions

- 1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21
- The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.
- In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
- 4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Copy to:

Prof.Rajive Kumar Secretary, AICTE Member

Page 3 of 4 180 00

Application No:1-7003888873 Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

ALL INDIA COUNCIL'FOR TECHNICAL EDUCATION

Greater N

Printed By: ae1737282

Letter Printed On:18 June 2020

#### 1. The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh

#### 2. The Registrar\*\*,

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow

#### 3. The Principal / Director,

GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE)
7, Knowledge Park - Ii,,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201306

#### 4. The Secretary / Chairman,


PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA,G B NAGAR Uttar Pradesh,201306

#### 5. The Regional Officer,

All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

#### 6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <a href="http://www.aicte-india.org/">http://www.aicte-india.org/</a>



Total of the state of the state

Application No:1-7003888873

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION


Note: This is a Computer generated Report. No signature is required. Printed By: ae1737282

Letter Printed On:18 June 2020

Page 4 of 4

<sup>\*\*</sup> Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)





#### **APPROVAL PROCESS 2019-20**

#### Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-4266056795/2019/EOA

Date: 29-Apr-2019

To.

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2019-20

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2019-20

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2018 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2018 dated 31/12/2018 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-10626904	Application Id	1-4266056795	
Name of the Institute	GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE)	Name of the Society/Trust	SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST	
Institute Address	7, KNOWLEDGE PARK - II,, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II,,GREATER NOIDA,G B NAGAR,Uttar Pradesh,201306	
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern	

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No .	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site/Location	No	Change of Site/Location Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA
Opted for Merger of Institution	No	Merger of Institution Approved or Not	NA
Opted for Introduction of New Program/Level	No	Introduction of Program/Level Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2019-20

Program	Shift	reve	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2019-20	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCl/ Approval Status
MANAGEMENT	1st	POST GRADUA TE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATIO N	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA

Application No:1-4266056795

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By: ae1737282

Letter F

Page 1 of 3

Letter Printed On:2 May 2019

MCA ·	1st	POST GRADUA TE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	ELECTRONICS & COMMUNICATIO N ENGG	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	150	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	INFORMATION TECHNOLOGY	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	MECHANICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA ,
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	ELECTRICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	90	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	CIVIL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	90	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUA TE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUA TE	VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUA TE	MECHANICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUA TE	AUTOMOBILE ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	0#	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUA TE	CIVIL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUA TE	COMPUTER SCIENCE	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUA TE	INFORMATION TECHNOLOGY	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA NA	NA

<sup>+</sup>FT -Full Time,PT-Part Time

Deficiencies Noted based on Self Disclosure

**Particulars** 

Deficiency

Application No:1-4266056795 Note: This is a Computer generated Report. No signature is required. Printed By: ae1737282

Greater Noi

Page 2 of 3

Letter Printed On:2 May 2019

<sup>#</sup> Punitive Action against the Institute

\*Please refer Deficiency Report for details

GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE) is hereby informed to submit the compliance of the deficiencies mentioned above to the Regional Office within a period of 6 months from the date of issuance of this letter failing which the council shall initiate strict action as defined in Approval Process Handbook 2019-20 during the subsequent Academic Year.

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

It is mandatory to comply all the essential requirements as given in APH 2019-20(appendix 6)

NOTE: If the State Government / UT / DTE / DME has a reservation policy for admission in Technical Education Institutes and the same is applicable to Private & Self-financing Technical Institutions, then the State Government / UT/ DTE / DME shall ensure that 10 % of Reservation for EWS would be operational from the Academic year 2019-20 without affecting the percentage reservations of SC/ST/OBC/General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the clause (1) of Article 30 of Constitution of India.

Prof. A.P Mittal Member Secretary, AICTE

Copy to:


- 1. The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
- The Registrar\*\*,
   Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
- The Principal / Director,
   Greater Noida Institute Of Technology (Engineering Institute)
   7, Knowledge Park Ii,,
   Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
   Uttar Pradesh, 201306
- 4. The Secretary / Chairman, Shri Ram Educational Trust Plot No. 7, Knowledge Park - Ii,. Greater Noida,G B Nagar, Uttar Pradesh,201306
- 5. The Regional Officer, All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
- 6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <a href="http://www.aicte-india.org/">http://www.aicte-india.org/</a>

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated tist of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

Application No:1-4266056795 Note: This is a Computer generated Report. No signature is required. Printed By: ae1737282 Page 3 of 3
Letter Printed On:2 May 2019

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)





#### **APPROVAL PROCESS 2018-19**

#### Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-3511794723/2018/EOA

Date: 10-Apr-2018

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2018-19

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2018-19

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and amended on December 5, 2017 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-10626904	Application Id	1-3511794723
Name of the Institute	GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE)	Name of the Society/Trust	SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST
Institute Address	7, KNOWLEDGE PARK - II,, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306	Society/Trust Address	PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II.,GREATER NOIDA,G B NAGAR,Uttar Pradesh,201306
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site	No	Change of Site Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2018-19

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2018-19	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status	Foreign Collaboration /Twining Program Approval Status*
MANAGEMEN T	1st	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	NA
MCA	1st	POST GRADUATE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	NA	NA	NA
ENGINEERING AND	1st	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS & COMMUNICATION	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar	150	NA	NA	NA

Application No:1-3511794723

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required. Printed By: ae1737282

Greater No



TECHNOLOGY			ENGG	1	Pradesh, Lucknow	52.52			
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	ELECTRICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	90	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUATE	VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	UNDER GRADUATE	AUTOMOBILE ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	POST GRADUATE	COMPUTER SCIENCE	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	INFORMATION TECHNOLOGY	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	NA
HET -Full Time.P	1st	MCA 2nd Year Direct	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	NA	NA	NA

<sup>+</sup>FT -Full Time,PT-Part Time

#### Course(s) Applied for Closure by the Institute for the Academic Year 2018-19

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Course Closure Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	Approved
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	MECHANICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	Approved
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	CIVIL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	Approved
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	2nd	UNDER GRADUATE	ELECTRICAL ENGINEERING	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	Approved

<sup>+</sup>FT-Full Time,PT-Part Time

Deficiencies Noted based on Self Disclosure

Greater No

Particulars

Deficiency

Application No:1-3511794723 Note: This is a Computer generated Report. No signature is required. Printed By: ae1737282

astitute

Page 2 of 3

Letter Printed On:2 May 2018

<sup>#</sup> Punitive Action against the Institute

\*Please refer Deficiency Report for details

GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE) is hereby informed to submit the compliance of the deficiencies mentioned above to the Regional Office within a period of 6 months from the date of issuance of this letter failing which the council shall initiate strict action as defined in Approval Process Handbook 2018-19 during the subsequent Academic Year.

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof. A.P Mittal Member Secretary, AICTE

#### Copy to:

- The Regional Officer, All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
- The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
- The Registrar\*\*,
   Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
- The Principal / Director, GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE) 7, KNOWLEDGE PARK - II,, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306
- The Secretary / Chairman, SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II,, GREATER NOIDA,G B NAGAR, Uttar Pradesh,201306
- 6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <a href="http://www.aicte-india.org/">http://www.aicte-india.org/</a>

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.





Page 3 of 3



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 <u>www.aicte-India.org</u>

F.No. Northern/1-3325008262/2017/EOA

Date: 30-Mar-2017

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of approval for the academic year 2017-18

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the academic year 2017-18

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-10626904	Application Id	1-3325008262
Name of the Institute	GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE)	Institute Address	7, KNOWLEDGE PARK - II., GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306
Name of the Society/Trust	SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST	Society/Trust Address	PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II,,GREATER NOIDA,G B NAGAR,Uttar Pradesh,201306
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for change from Women to Co-ed and Vice versa	No	Opted for change of name	No	Opted for change of site	No
Change from Women to Co-ed approved and Vice versa	Not Applicable	Change of name Approved	Not Applicable	Change of site Approved	Not Applicable
Opted for Conversion from degree to diploma	No	Opted for Conversion from diploma to degree	No	Conversion (degree to diploma or vice-a-versa) Approved	Not Applicable

To conduct following courses with the intake indicated below for the academic year 2017-18

Application Id: 1-3325008262		3262	Course	ō	Affiliating Body	oved for	Approved for 8	al status	Gulf quota/ tatus	rion/Twining Approval
Program	Shift	Level		Full/Part Time		Intake Approved 2016-17	Intake Appro 2017-18	NRI Approval status	PIO / FN / Gulf o OCI/ Approval status	Foreign Collaborarion/T Program Appro status
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	POS T GRA DUA TE	CIVIL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar	18	18	NA NA	NA	NA

Greater No

Application Number: 1-3325008262

Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By: ae1737282

Page 1 of 5 Letter Printed On:13 April 2017



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 www.aicte-India.org

					Pradesh, Lucknow					
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	POS T GRA DUA TE	COMPUTER SCIENCE	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	18	NA NA	NA NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	POS T GRA DUA TE	MECHANICAL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	18	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	POS T GRA DUA TE	VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	18	18	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	UND ER GRA DUA TE	AUTOMOBILE ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	30	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	UND ER GRA DUA TE	CIVIL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	180	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	UND ER GRA DUA TE	COMPUTER . SCIENCE AND ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	120	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	UND ER GRA DUA TE	ELECTRICAL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	90	NA	NA	NA

Application Number: 1-3325008262
Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By: ae1737282

Page 2 of 5 Letter Printed On:13 April 2017

Greater Noid



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 <a href="https://www.aicte-India.org">www.aicte-India.org</a>

ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	UND ER GRA DUA TE	ELECTRONICS & COMMUNICATI ON ENGG	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	150	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	UND ER GRA DUA TE	INFORMATION TECHNOLOGY	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	UND ER GRA DUA TE	MECHANICAL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	180	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	2nd Shift	UND ER GRA DUA TE	CIVIL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	2nd Shift	UND ER GRA DUA TE	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	2nd Shift	UND ER GRA DUA TE	ELECTRICAL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	2nd Shift	UND ER GRA DUA TE	ELECTRONICS & COMMUNICATI ON ENGG	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO	2nd Shift	UND ER GRA DUA	INFORMATION TECHNOLOGY	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University,	60	60	NA	NA	NA

Greater No

Application Number: 1-3325008262 Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By: ae1737282

Page 3 of 5 Letter Printed On:13 April 2017



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 <u>www.aicte-India.org</u>

GY		TE			Uttar Pradesh, Lucknow			Te de la constant		
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	2nd Shift	UND ER GRA DUA TE	MECHANICAL ENGINEERING	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
MANAGEME NT	1st Shift	POS T GRA DUA TE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATI ON	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Teçhnical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
MCA	1st Shift	MCA 2nd Year Direc t	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
MCA	1st Shift	POS T GRA DUA TE	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	30	NA	NA	NA

The above mentioned approval is subject to the condition that GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE) shall follow and adhere to the Regulations, guidelines and directions issued by AICTE from time to time and the undertaking / affidavit given by the institution along with the application submitted by the institution on portal.

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation:- Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Note: Validity of the course details may be verified at www.aicte-india.org

Application Number: 1-3325008262

Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By: ae1737282

Prof. A.P Mittal

Page 4 of 5 Letter Printed On:13 April 2017

Creater Nois



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 <u>www.aicte-India.org</u>

Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Regional Officer,

All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

2. The Director Of Technical Education\*\*,
Uttar Pradesh

The Registrar\*\*,


Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow

4. The Principal / Director, GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING INSTITUTE) 7, KNOWLEDGE PARK - II,, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201306

 The Secretary / Chairman, SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II,, GREATER NOIDA,G B NAGAR, Uttar Pradesh,201306

6. Guard File(AICTE)

Note: \*\* - Approval letter copy will not be communicated through post/email. However, provision is made in the portal for downloading Approval letter through Authorized login credentials allotted to concerned DTE/Registrar.



Page 5 of 5 Letter Printed On:13 April 2017

Stule

Application Number: 1-3325008262 Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By: ae1737282

## 510 राकेश वर्मा पी०सी०एस० कुलसचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ— 226021

दूरभाषः 0522—2732193 फैक्सः 0522—2732185

> पंत्राकः— ए०के०टी०यू० / कुस०का० / स०वि० / 2017 / 700—1295 दिनांकः 15 मई, 2017

College Code 132

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

Greater Noida Institute of Technology, Gautam Buddh Nagar

PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA

विषयः शैक्षिक सत्र 2017–18 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में। महोदय / महोदया

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सन्न 2017—18 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1667 / सोलह—1—2016—13(5) / 2015 दिनांक 12.05.2017 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन, की प्रत्याशा में, संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
B.Tech	Automobile Engineering	Shift I	30	**************************************	30
B.Tech	Civil Engineering	Shift I	180	***************************************	180
B.Tech	Civil Engineering	Shift II	60		60
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	120		120
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift II	60		60
B.Tech	Electrical Engineering	Shift II	60		. 60
B.Tech	Electrical Engineering	Shift I	90		90
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	150		150
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift II	60		60
B.Tech	Information Technology	Shift II	60		60
B.Tech	Information Technology	Shift I	60		60
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	180		180
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift II	60		60
M.Tech	Civil Engineering	Shift I	18		18
M.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	18	**************************************	18
M.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	18	Validity	18
M.Tech	VLSI Design	Shift I	18	vallulty	CKIN 1108/
MBA	MBA	Shift I	00	Digitally Signed by: FAKES VARI Organisation: Personal State: Uttar Pradesh Postal Code: 226024Country: IV	60
MCA	MCA	Shift I		Postal Code: 226024Country: IN Serial Number: d1ddcae64597d9ca1264ac1879b2 Reason: I am the author of thill doc	a7 59178#663136 15f0a4726
MCA Lateral Entry	MCA	Shift I	60		51

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु विश्वविद्यालय के क्रारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Greater Notion

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

1. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन—पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई किमयाँ / मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।

2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ—साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्व

ारा किसी भी समय किया जा सकता है।

- 3. बी.फार्म / एम.फार्म. / बी.आर्क. / एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप एवं पी.सी.आई. / सी.ओ.ए. (यथा लाग) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं / विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रृटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम २०१० के अध्याय—६ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7. संस्थान ०१ अगस्त, २०१७ के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानको के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक / प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षको की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कुट रचना / विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
- 8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक / प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथी से तीन—माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य काराये। (अध्याय:6.15)
- 9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.18)
- 10 शैक्षिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय:6,25बी.)
- 11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें।(अध्याय:6.13)
- 12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करयें। (अध्याय:6.16)
- 13. संस्था द्वारा छात्रों के लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

15. फार्मेसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमो हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया / आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2017-18 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य कर से स्पलका कराना आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। फार्मेसी प्राप्तिस्थानी संस्थान सत्र 2017-18 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तुर से सीधे किया सीट पर प्रवेश दे संकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वंय उत्तरदायित्व होगा।

16. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकर्ता की खेळाडू और उपलिए निर्धारित मानकों के सापेक्ष किमयों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। 17. जिन संस्थानों की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथेबा विश्वविद्यालय

त्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की

जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानो की सम्बद्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगी।

- 18. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों / अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 19. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशो/आदेशो का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 20. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्व ारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायगी।
- 21. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपन्न संख्या उ०प्र०प्रा०वि० / कुस० का० / 2014 / 4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
- 22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 23. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कितपय संस्थानो की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2017—18 हेतु स्थिगित रखा गया है। आगामी सत्र 2018—19 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्नजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
- 24 पाठ्यकम विशेष के सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तथ 4 या 5 (यथा लागू ) में स्तम्भ 6 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।


> (राकेश वर्मा) कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:— 1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।

- 2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5. गार्ड फाइल।





## ओम प्रकाश राय

आई०ए०एस० कुलसचिव



# डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:-ए०के०टी०यू० / कुस०का० / स०वि० / २०१८ / १०१३९ / (132)

दिनांक: 15.05.2018

College Code 132

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

Greater Noida Institute of Technology, Gautam Buddh Nagar PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA

विषयः शैक्षिक सत्र 2018–19 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में। महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सन्न 2018—19 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2012 / सोलह—1—2018—13(1) / 2018 दिनांक 15.05.2018 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन, की प्रत्याशा में, संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ,

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTEAppro vedIntake	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
B.Tech	Automobile Engineering	Shift I	30	30	0	30
B.Tech	Civil Engineering	Shift I	180	180	0	180
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	120	120	0	120
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift II	60	60	0	60
B.Tech	Electrical Engineering	Shift I	90	90	0	90
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	150	150	0	150
B.Tech	Information Technology .	Shift I	60	, 60	0	60
B.Tech	Information Technology	Shift II	60	60	0	60
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	180	180	0	180
M.Tech	Civil Engineering	Shift I	18	18	0	18
M.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	18	18	0	18
M.Tech	Mechanical Engineering .	Shift I	18	18	0	18
M.Tech	VLSI Design	Shift I	18	18	0	18
MBA	MBA	Shift I	60	60	0	51
MCA	MCA	Shift I	30	30	0	25
MCA Lateral Entry	MCA	Shift I	60	60	0	60

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2018—19 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

1. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी मुई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कर्णना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धवा स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसक्षक पिक्ति विद्यायित स्वमं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

Director

Greater

- 2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ—साथ संस्थान के लेखा का आंडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- 3. बी.फार्म / एम.फार्म. / बी.आर्क. / एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सन्न विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप एवं पी.सी.आई. / सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिशिचत करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण—प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार की कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की
- 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं / विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम २०१० के अध्याय-६ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7. संस्थान 01 अगस्त, 2018 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानको के अनुरूप अपेक्षित सं ख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक / प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कुटरचना / विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझा जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
- 8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद हिक्त होने के दिनांक तिथी से तीन—माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य काराये। (विनियम: 6.15)
- 9. सत्र 2018-19 के प्रारम्म होने के पूर्व संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सन्त्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के, सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
- 10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सचित करें। (विनियम: 6.18)
- 11 शैक्षिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
- 12. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (विनियमः 6.13)
- 13. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (विनियमः 6.16)
- 14. संस्था द्वारा छात्रों के लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायगा। 15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायगा।
- 16. फार्मेसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमो हेत् सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मेसी कार्जसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर कार्जसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2018–19 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय की अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। सम्बन्धित नियामक संस्थान से मान्यता अप्राप्त की दशा में संस्थान फार्मेसी तथा वास्तुकला के पाठ्यक्रमों में सत्र 2018–19 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धिकय सीट पर प्रवेश दें सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा। 17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त आचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष किमयों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 18. जिन संस्थानो की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तुर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
- 19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश (अनुसूचित जातियों /अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 20. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशो/आदेशो का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 21. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित / अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क / डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायगी।
- 22. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपन्न संख्या उंपप्रणाठविठ / कुसठ का० / 2014 / 4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
- 23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यो हेत् संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो सो संस्थान हारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

Greater No

24. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कितपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2018—19 हेतु स्थिगित रखा गया है। आगामी सत्र 2019—20 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पूर्नजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

25 पाठ्यकम विशेष के सम्बद्धता की लिम्बत क्षानता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तथ 5 या 6 (यथा लागू) में स्तम्भ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विद्यलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमया पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

> (ओम प्रकाश राय) कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
- 2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5. गार्ड फाइल।



नन्द लाल सिंह पी०सी०एस० कुलसचिव

## डा0 ए०पी०जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र0 सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:-ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2019/1094/132

दिनांकः 15 मई, 2019

#### College Code 132

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

Greater Noida Institute of Technology, Gautam Buddh Nagar

PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA, (U.P) 201 306, Gautam Buddha Nagar

विषयः शैक्षिक सन्न 2019–20 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में । महोदय / महोदया

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2019—20 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1538/सोलह—1—2019—13(1)/2018 दिनांक 15.05.2019 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019—20 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
B.Tech	Automobile Engineering	Shift I	30	0		0
B.Tech	Civil Engineering	Shift I	180	90	Annual Contract No. 15 April	90
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift II	60	60		60
B.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	120	120	in a company of the property of the control of the	120
B.Tech	Electrical Engineering	Shift I	90	90		90
B.Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	150	150	gland of an order given a consider	150
B.Tech	Information Technology	Shift I	60	60		60
B.Tech	Information Technology	Shift II	60	60		60
B.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	180	180		180
M.Tech	Civil Engineering	Shift I	18	18		18
M.Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	18	18		18
M.Tech	Mechanical Engineering	Shift I	18	18		18
M.Tech	VLSI Design	Shift I	18	18	Control of the Contro	18
MBA	MBA	Shift I	60	60	of the first section of the section	51
MCA	MCA	Shift I	30	30		30
MCA Lateral Entry	MCA	Shift I	60	and the state of t		0

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:--

1. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन—पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, शैंगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई किमयां/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदक्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

Greater Noid?

2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सहस्वपर्म के साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी

13

विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

- 3. बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी कालंसिल आफ इण्डिया/कालंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लाग्) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति एवं संबंधित कालंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लाग्) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/ प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण—प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांफित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं / विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7. संस्थान 10 जून, 2019 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक / प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना / विसंगित पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
- 8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि / नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2019-20 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेंगी।
- 9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक / प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
- 10. सत्र 2019–20 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक कों सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेंगा।
- 11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
- 12. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाहीं की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
- 13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
- 14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
- 15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमीदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 17. फार्मेंसी तथा आर्किटवेचर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमो हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2019-20 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मेसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2019-20 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्घारित मानकों के सापेक्ष किमयों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

19. जिन संस्थानो की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में १८ वर्ष किथाक विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बन्धित संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्यान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्यान संस्थान संस्यान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्यान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्थान संस्य

Director

Greater Noida

4

- 20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जाितयों अनु0 जनजाितयों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाित / जनजाित के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।
- 23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्रा०वि० / कुस० का० / 2014 / 4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
- 24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कित्तपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 25. विगत शैक्षिक सन्न में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एंव पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कितपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सन्न 2019–20 हेतु स्थिगित रखा गया है। आगामी सन्न 2020–21 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
- 26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लिम्बत क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तम्भ 5 या 6 (यथा लागू) में स्तम्भ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

War.

(नन्द लॉल सिंह) कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1. अपर मुख्यसचिव, मा० कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
- 2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5. गार्ड फाइल।



## नन्द लाल सिंह पी०सी०एस० कुलसचिव



# डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:-ए०कें०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2020/6090 > 6792\_

दिनांकः 2 ५ अगस्त, 2020

College Code 132

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA, (U.P) 201 306, Gautam Buddha Nagar

विषयः शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में। महोदय/महोदया,

जपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2020—21 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020—21 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Technology	Automobile Engineering	Shift I	0	0	0	0
Bachelor of Technology	Civil Engineering	Shift I	90	90	0	90
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift !	120	180	0	180
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning)	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Internet Of Things)	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Electrical Engineering	Shift I	90	120	0	90
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	90	90	0	90
Bachelor of Technology	Information Technology	Shift I	60	120	0	120
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	120	120	0	120
Master of Computer Applications	MCA	Shift I	30	60	0	30
Master of Technology	Civil Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	VLSI Design	Shift I	18	18	0	18
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	60 Mis Wife of T	echnology	0	60

Greater No.

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

- 1. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन—पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई किमयाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्य ालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- 3. बी.फार्म / एम.फार्म. / बी.आर्क. / एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इिंडिया / काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा
- 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं /विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय—6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7. संस्थान 10 सितम्बर, 2020 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निर्देशक/प्राचार्य की नियुदित पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुद्धित कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, संस्थान का होगा।
- 8. कितियय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि / नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ हाने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2020-21 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
- 9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक / प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
- 10. सत्र 2020—21 के प्रारम्म होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमित के सेवा से निकाला नहीं जा सकेंगा।
- 11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
- 12. शैक्षिक एवं शिक्षणैत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यधा की रिथति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
- 13. लैंब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
- 14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत करायें। (विनियम: 6.16)
- 15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(ecto)

Greater No

16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

17. फार्मेसी तथा आर्किटकेचर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं की इन

विभागे के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय

- 17. कार्मेसी तथा आर्किटकेचर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्यन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मेंसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2020-21 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य छप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मेंसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2020-21 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशंष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं
- 18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष किमयों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 19. जिन संस्थानों की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
- 20. संस्थान द्वारा प्रवेश में जत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों /अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानको, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों स नियमानुसार निर्धारित शुक्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुक्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा मुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी
- 22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वहीं शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त
- 23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपन्न संख्या उ०प्र०प्रा0वि० / कुस० का० / 2014 / 4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
- 24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्यित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 25. विगत शैक्षिक सन्न में पार्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एव पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2020—21 हेतु स्थिगित रखा गया है। आगामी सत्र 2021—22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्नजीवित करने या संशोधित करने पर
- 26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिक के स्तथ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की
- 27. शासन / विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2020 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमिया पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

पृष्टांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, मां। कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।

2. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनक।

3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5. गार्ड फाइल।

e of Techno

(नन्द लोल सिंह)

कु लराचिव

# नन्द लाल सिंह पी०सी०एस० कुलसचिव



## डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:-ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2021/13492 (132)

दिनांकः 31 अगस्त, 2021

#### College Code 132

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA, (U.P) 201 306, Gautam Buddha Nagar

विषयः शैक्षिक सत्र 2021-22 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फामेंसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2021—22 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति / उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021—22 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

. Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Technology	Automobile Engineering	Shift I	0	0	0	0
Bachelor of Technology	Civil Engineering	Shift I	120	120	0	120
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	180	180	0	180
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning)	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Internet Of Things)	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Electrical Engineering	Shift I	120	120	0	120
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	90	90	0	90
Bachelor of Technology	Information Technology	Shift I	120	120	0	120
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	120	120	0	120
Master of Computer Applications	MCA	Shift I	60	60	0	60
Master of Technology	Civil Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	Mechanical Engineering	Shift J	18	18	0	18
Master of Technology	VLSI Design	Shift I	18	18	0	18
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	situle of Technolog	60	0	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन—पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फँकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा मानकानुसार फँकल्टी की न्यूनता को 01 माह के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- 3. बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुलक के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण—प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं /विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय—6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7. संस्थान 30 सितम्बर, 2021 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अहँता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराई जुंड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई बुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
- 8. कितिय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि / नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ हाने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2021–22 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
- 9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक / प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
- 10. सत्र 2021–22 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमित के सेवा से निकाला नहीं जा सकेंगा।
- 11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सुचित करें। (विनियम: 6.18)
- 12. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
- 13. लैंब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
- 14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
- 15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुक्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो ज़ायेगा।

Director Greater Horizon

अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहुत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में कार्नेसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2021-22 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।

- 18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त आँचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष किमयों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 19. जिन संस्थानो की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संरथानो की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।
- 20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश (अनुसूचित जातियों / अनु0 जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आर क्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सन्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित / अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क / डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।
- 23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपन्न संख्या उ०प्र०प्रा0वि० / कुस० का० / 2014 / 4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
- 24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कॉर्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एव पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक मिश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2021-22 हेतु स्थिगित रखा गया है। आगामी सम्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्नजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
- 26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिक के स्तथ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।
- 27. शासन / विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2021 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

> (नन्द लाल सिंह) क्लसचिव

पष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति /श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
   सचिव, प्राविधिक शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4 निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनक।
- गार्ड फाइल।



## डॉ0 राजीव कुमार सिंह उप कुलसचिव



# डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र0 सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः-ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2022/1891(132)

दिनांकः 24 सितम्बर, 2022

College Code 132

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

PLOT NO. 7, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA, (U.P) 201 306, Gautam Buddha Nagar

विषयः शैक्षिक सत्र 2022-23 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेंसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2022—23 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1794/सोलह—1—2022—13(01)/2018 दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मां कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित दिवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2022—23 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Technology	Artificial Inelligence (AI) And Data Science	Shift I	60	60	0	60 *
Bachelor of Technology	Civil Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Computer Science And Design	Shift I	60	60	0	60 *
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	180	180	0	180
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)	Shift I	60	60	0	60 *
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning)	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Data Science)	Shift I	60	60	0	60 *
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Internet Of Things)	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Electrical Engineering	Shift I	60	60	0 .	60
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	120	90	0	90 *
Bachelor of Technology	Information Technology	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	60	60	0	60
Master of Computer Applications *	MCA	Shift I	120	120	0	120 *
Master of Technology	Civil Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	18	echnology 18	0	18

Master of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	VLSI Design	Shift I	18	18	0	18
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	60	60	0	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

- 1. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियाँ / मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान / प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म / एम.फार्म ./ बी.आर्क ./ एम.आर्क . पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया / काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप/पी.सी.आई. रसी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश / शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं / विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की बुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7. संस्थान 10 अक्टूबर, 2022 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानको के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक / प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षको की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना / विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
- 8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि / नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ हाने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2022-23 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी \*।
- 9. सत्र प्रारम्म होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक / प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियमः 6.15)
- 10. सत्र 2022—23 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमित के सेवा से निकाला नहीं जा सकेंगा।
- 11. सन्न प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोडने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य स्चित करें। (विनियमः 6.18)
- 12. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियमः 6.25बी.)

13. लैंब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय

एवं इसकी स

Director

Greater No

14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी र कराये। (विनियम: 6.16)

भी विश्वविद्यालय को अवगत

- 15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / पी०सी०आई० / सी०ओ०ए० (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 17. फार्मेसी तथा आर्किटक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमो हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया / आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2022–23 हेतु मान्यता का अनुमित पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली प्रवेश की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मेसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2022–23 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष किमयों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 19. जिन संस्थानों की अभातिशाप/पी०सी०आई०/सी०ओ०ए० एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बन्धता, तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
- 20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों /अनु0 जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आर क्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की रिथति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों /आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
- 22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छान्नों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।
- 23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कितपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 24. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अई शिक्षकों एंव पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कितपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2022—23 हेतु स्थिगित रखा गया है। आगामी सत्र 2023—24 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
- 25. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लिम्बत क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिक के स्तम्भ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयां पायी जाने की स्थिति में संस्था की स्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

Direct Direct

Greater No

(डॉ० रोजीव कुमार सिंह) उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
- 2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनक।
- 3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनक।
- 5. गार्ड फाइल।